कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांकः– 357 दिनाकः– 09/02/2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 158 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा **माह फरवरी, 2024** में **दिनांक 10.02.2024** को राजकीय अवकाश के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के **सांगानेर/चाकसू मुख्यालय** की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यो (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई के लिए सांगानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट कैसेज) क्रम–12, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

उक्त पीठासीन अधिकारी के उक्त दिवस को अनुपलब्ध रहने के कारण, उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुए **दिनांक 10.02.2024** को राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्यो की सुनवायी के लिये **सांगानेर मुख्यालय** पर रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी **सुश्री कामाक्षी मीणा, न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–17, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम** को अधिकृत किया जाता है।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

क्रमांकः– 358 to 365 दिनाकः– 09/02/2024

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
3. दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), क्रम–12/एम.एम.–17, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम।
5. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई–मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।